झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–8 / ज०सं०(नि०) भू–अर्जन–10–01 / 2018 .... / राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रेम कुमार तियू (निलंबित), ने जबकि वे विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर में लिपिक के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री प्रेम कुमार तियू, लिपिक (निलंबित) के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–16 एवं 17 के अन्तर्गत विहित नीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री प्रेम कुमार तियू, लिपिक (निलंबित) से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर / श्री प्रेम कुमार तियू, लिपिक (निलंबित), पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –../रॉंची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ मुख्य अभियंता, सह–संचालन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर/श्री प्रेम कुमार तियू, लिपिक (निलंबित), पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –......3202.../रॉंची, दिनांक– ..24/07/18..

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रशाखा–14, जल संसाधन विभाग, रॉंची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।